COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20

PBR/निगरानी/मन्दसौर/भू-रा/2017/1573

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–मन्दसौर

1– प्रताप सिंह पुत्र श्री कालु सिंह जी
2– गणपत सिंह पुत्र श्री कालु सिंह जी
3– लक्षमण सिंह पुत्र श्री कालु सिंह जी
4– गोपाल सिंह पुत्र श्री कालु सिंह जी
5– श्रीमती धनकुवंर विधवा कालु सिंह जी
निवासीगण – ग्राम बिलांत्री हा.मु. पाड़लियामारू तहसील व जिला मन्दसौर (म.प्र.)

...... आवेदकगण

विरूद्ध

1– हरिसिंह पुत्र श्री किशन सिंह जी राजपूत
2– वजेसिंह पुत्र श्री भेरूसिंह राजपूत
3– फतेसिंह पुत्र श्री भेरूसिंह राजपूत
4– गीताबाई पुत्री श्री घासी जी पत्नी देवा जी खारोल
निवासीगण – बिलांत्री तहसील व जिला मन्दसौर (म.प्र.)
5– देवेन्द्र पुत्र श्री आर.एस.जैन
निवासी – तिलकनगर राजगढ़ (ब्यावरा) जिला – राजगढ़ (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

श्री ... द्वारा आज दि. 03.6.17 को ... क्लर्क ऑफ कोर्ट 3-6-17 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

03/06/17

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील मन्दसौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 15/अ–6/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 18.02.2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारो पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार के समक्ष एक आवेदन पत्र अनावेदक क्रमांक 5 के द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया। कि जिस सम्पत्ति के नामान्तरण हेतु याचिका प्रस्तुत की गयी है, उक्त सम्पत्ति विवादित होकर उसके स्वामित्व के विषय में संबंधित प्रकरण अतिरिक्त न्यायधीश प्रथम व्यवहार न्यायधीश वर्ग–2 के न्यायालय में स्वत्व घोषणा हेतु वाद क्रमांक 282ए/2011 लंबित है। इसलिये जबतक ...

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/मंदसौर/भू.रा./2017/1573

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19को कलेक्टर, जिला मंदसौर के समक्ष उपस्थित हों। प्रशासकीय सदस्य	